Drama Therapy Programme

*144. SHRI B.K. HARI PRASAD : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Drama therapy method successfully used for handling and training of mentally retarded and handicapped children, recently organised in Delhi by Samadhan, Social Welfare Organisation in collaboratihn with British Institute of Drama Theraby, and students and staff of National School of drama ; and

(b) whether Government propose to start similar Drama Therapy programmes under "Samadhan" and other similar groups involved actively in the welfare of mentally retarted and handicapped persons and if so, the details of the plans and provisions, if any, under the Eighth plan period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI K. KAMALA KUMARI) : (a) It has not been evaluated.

(b) There is no such scheme under the Minisiry of Welfare.

SHRI B.K. HARI PRASAD : Sir, the answer given by the Minister clearly shows that they have got a negative approach to the problems of the mentally handicapped.

I would like to know from the honourable Minister whether the Government has got any plan to start a programme for the legal mapping of the status of the mentally handicapped children of the mentally handicapped children which help in the formulation of a suitable legislation for the protection of the rights of these handicapped people.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, मानसिक रूप से मन्द बुद्धि लोग इस देश में तकरीबन दो परसेंट हैं।

कुछ माननीय सदस्य : संसद में कितने हैं ?

श्री सीताराम केसरी : उनके हम सभी प्रतिनिधि हैं।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : अगले कितने हैं ?

श्री सीताराम केसरी : 98 प्रतिशत।

माननीय सदस्य : दो परसेंट तो केबिनेट में भी होने चाहिएं।

श्री सीताराम केसरी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनके लिए हमारे मंत्रालय की ओर से कई योजनाएं हैं और एक बिल भी हम आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग से न्यास होगा, फंड होगा उस फंड से मंद बुद्धि बच्चों के माता-पिता उनके पुनर्वास का प्रबन्ध कर सकेंगे। जो इन्होंने प्रश्न किया है संगीत के आधार पर प्रशिक्षित करने का तो उसकी योजना हमारे यहां नहीं है। मगर मेरे यहां विशेष करके इस तरह की कोई योजना नहीं है कि हम संगीत या नाटक के लिए कोई आयोजन करें। लेकिन जो हम नान-गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन्स को अनुदान देते हैं उसके अन्तर्गत इन बच्चों के लिए जो प्रबन्ध और प्रावधान हैं उनके काम के लिए, उसके अन्तर्गत इस तरह का प्रावधान है।

SHRI B.K. HARI PRASAD : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has got any details about the abuse of human rights of the mentally-handicapped people through poor conditions in the institutions, punishing locking up, use of drugs or surgery or other means of controlling their behaviour.

श्री सीताराम केसरी : माननीय सदस्य ने कहा कि मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ? मैंने पहले भी कहा कि अगर विशेष योजनाओं की वह जनकारी देखना चाहते हैं तो हमारे पास आ जावें या मैं उनको भेज दूंगा जिससे उनको डिटेल में जानकारी हो जाएगी। मेरे मंत्रालय की तरफ से सभी लोगों के लिए, चूंकि नान-गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन्स इस देश में तकरीबन 1500 चलते हैं जिनमें 244 नान-गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन्स को अनुदान देते हैं। उसके अन्तर्गत फिजिकली हैण्डीकैप्ड भी आते हैं और मेंटली हैण्डीकैप्ड भी आते हैं और विजुअली हैण्डीकैप्ड भी

आते हैं और जो बेचारे गूंगे और बहरे हैं वे भी आते हैं (व्यवधान) । संविधान के अन्दर भी इसका प्रावधान है । उनको वही अधिकार हैं जो मदद के लिए किसी सिटीजन के अधिकार हैं । इसलिए हम उनकी मदद करते हैं ।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : It is tragic in our country that the problems of these people, who are the only people who have a right to say that they are backward and suppressed and oppressed, are being dealt within a manner which shows that we are over-simplifying it so easily. It is without doubt a proven fact that...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : Do you have a personal experience ?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY Yes,I deal with allof you everyday. This concern has been expressed that there is absence of any kind of humanitarian approach. What monitoring arrangements do they have, and is it not a fact that these people..

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से... (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : एक समय में दोनों मन्द बुद्धि लोगों के प्रतिनिधि खड़े हो गये हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह :सभापति जी, आपने मुझ को बुलाया है, लेकिन महिला सदस्या खड़ी हो गई।

श्रीमती रेणुका चौधरी : अच्छा, मैं बैठ जाती हूं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि प्रश्नकर्ता ने पूछा और मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि जो बुद्धि लोग हैं और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको इस तरह के नाटकों से लाभ मिला है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और भारतीय पद्धति भी यह कहती है कि संगीत के द्वारा पहले ऐसे लोगों को शिक्षा भी दी जाती थी और साथ साथ उनमें जागृति भी पैदा की जाती थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि खुद उन्होंने कहा है कि यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन यहां पर मानव संसाधन विकास मंत्री भी बैठे हैं, इसलिए क्या जो मानसिक रूप से मन्द बुद्धि के लोग हैं और शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनका जो शिक्षण कोर्स, पाठ्यक्रम, बनाया जाता है उसमें क्या इस तरह की विधियां अपनाई जायेंगी कि जिससे उनको लाभ मिल सके ? यह कल्याण विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोनों के सहयोग से संभव है, दोनों मंत्री इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री उपसभापति : दोनों सहयोग करके इसमें कुछ करेंगे ।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए आप शिक्षा विभाग से प्रश्न कीजिए।

श्री भंवर लाल पंवार : सभापति जी, मानसिक रूप से मन्द बुद्धि के बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य केन्द्र में जानकारी की गई तो पता लगा कि भारत में इस संबंध में बहुत अच्छा प्रचार, उपयोग और सरकार की ओर से साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे बच्चों के लिये ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों में और ऐसे स्कूलों में उन छात्रों के लिए रहने की भी व्यवस्था सरकार करेगी ताकि उनको वास्तविक रूप से लाभ मिल सके ? मुझे विश्व के अनेक ऐसे केन्द्रों में जाने का मौका मिला है और मुझे वहां से पता लगा कि भारत में इस संबंध में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, नान-गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन में जिस तरह का आयोजन है, इसकी पूणी तालिका हमारे पास नहीं है । हम इसको कलेक्ट करके

बता देंगे कि कितने बच्चे किस स्कूल में, किस संस्था में हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन चलता है, सिकन्दराबाद में, उसमें तकरीबन जो हिसाब है, मंद-बुद्धि बच्चों के इलाज के लिए, उसके अन्तर्गत भी बच्चे वहां रहते हैं और उनका प्रबंध होता है और उनका इलाज होता है।

श्री सभापति : वह पूछ रहे हैं कि नान गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन में रहने के लिये, आवास के लिए क्या आप कुछ मदद कर रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : मैंने कहा कि नान गवर्नमेंटल सगठनों में इस तरह का प्रावधान है। हमारे यहां सिकन्दराबाद...

श्री सभापति : क्या आप नान-गवर्नमेंटल आरगेनाइजेशन जो हैं उनको आवास की मदद देते हैं?

श्री सीताराम केसरी : हां मदद देते हैं, इसका प्रावधान है।

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY : Sir, as you know, it is through drama Gandhiji's views were changed. After seeing Harishcandra, he made up his mind not to tell lie in future. It is drama which has more effect. Therefore, the mentally handicapped can be treated through drama thererpy. Nowadays, the drama artists are without any job. Cinema and TV have taken their place. But this thereapy, not only the mentally retarted can be treated, but we can also ensure employment to the artists. There fore. I would like to know whether the Government has any programme to give *jobs to the artistes, providing at the* same time, help to the mentally handicapped people.

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर जहां† तक संगीत और नाटक के द्वारा मनोरंजन का सवाल है निस्संदेह इससे मंद-बुद्धि के लोगों का मनोरंजन होता है। मगर जहां तक हमारे विभाग का प्रश्न है हमारे यहां इसकी कोई योजना नहीं है। हां सांस्कृतिक नाट्यशाला के लिये अनुदान का प्रावधान है। मगर यह चीज सोचने लायक है विचारने लायक है यह शिक्षा विभाग से संबंधित है।

श्री शंकर दयाल सिंह : कल्याण मंत्री जी अपनी चिंता मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर सरका रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति महोदय सब की चिंता करना हमारा कर्तव्य है।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Welfare Minister that what is the condition of the institutions mean for mentally retarted, mentally handicapped people, in Delhi ? The conditions are not at all congenial and satisfactory. Therefore, what steps Government *propose to make in this* regard, improve the condition of the institution in Delhi and other places ? I would also like to know the grant given by the Central Government and the Delhi Administration during the current year, the money spent so far, and the shortfall. If there is a shortfall in grant, the reasons there for?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर नान-गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन या मंत्रालय द्वारा संचालित संगठनों का सर्वेक्षण और मानेटरिंग करवाया जाता है और जहां भी गलती मिलती है वहां तुरंत एक्शन लेते हैं। माननीय सदस्य महोदय से मेरा निवेदन है कि यदि उनके पास कोई इस तरह की सूचना हो तो वह मेरे पास भेजें। मैं तत्काल उस पर ऐक्शन लूंगा। जहां तक हर संगठन के अनुदान का प्रश्न है इस संबंध में मैं उनको सारी सूचना सप्लाई कर दूंगा।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I have three parts in my question. Firstly, is it true that epileptics are considered to be mentally retarted and brought under the Indian Lunacy *Act ? Secondly, have they not provided* for psychiatric evvluation centres and qualified psychiatrists?

to know whether the Government has any programme to give jobs to the' artists, providing, at the same time help to the mentally handicapped people.

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, जहां तक परामर्श सेंटर का सवाल है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और होता भी रहा है। जैसे मैंने कहा कि नान गवर्नमेंटल-आर्गेनाइजेशंस इसको करती हैं और उनको हम तकरीबन 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं। इसलिए इन्होंने जो कहा (व्यवधान)

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : वह क्या पूछ रही हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं (व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I want to know if epileptic children....

श्री शंकर दयाल सिंह : हिन्दी में पूछिए, आप तो हिन्दी बोलती हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हिन्दी में बोलिये (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : मेरी मर्जी है मैं चाहे जिस भाषा में बोलूं। ट्रांसलेशन भी है जी (व्यवधान)

SHRI A.G. KULKARNI : Why are you using convent language ?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I was educated where Rajiv Gandhi was educated. I want to know whether epileptic centres have been brought under the Indian Lunacy Act. (*Interruptions*). Part (b) of my question is ...

SHRI DIPEN GHOSH : whether the Government is epileptic.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : This is a very sensitive subject. It is of great concern to us because it deals with the mental health. I want to know whether there are psychiatrist counselling centres or institutes where the parents and families of the retarded children are counselled for rehabilitation of these children and how to deal with them. Do you have enough psychiatrist personnel to evalute the these children psychologically and physically on a regular, systematic basis? The most important part of my question is whether the epileptics are brought under the Lunacy Act. It was there earlier. I do not know whether the same *status quo* is maintained or not.

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह सवाल स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है यह हम से संबंधित नहीं है (व्यवधान)

श्री सभापति : इनका प्रश्न है कि जो मिरगी वाले हैं, जिनको मिरगी आती है, एपिलेप्टिक हैं, क्या उनको आप मेंटली रिटार्डेड में गिनते हैं या लूनेटिक में गिनते हैं। पहला सवाल यह है।

श्री सीताराम केसरी : यह तो डाक्टर बतायेगा, हम नहीं बता सकते हैं।

श्री सभापति : आपका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर एपिलेप्टिक है तो उसको मेंटली रिटार्डेड ट्रीट करेंगे या लूनेटिक ट्रीट करेंगे। इसी में दोनों क्-शन तय हो जाता है।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, ऐसा प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)** जो उन्होंने कहा जिनको मिरगी आती है इसके लिए तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। वह बतलायेगा कि मिरगी है **(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे० शाह : अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल ठीक पूछा है। जो इन्होंने कहा वही सवाल है। बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है **(व्यवधान)**

श्री सभापति : वह कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का डाक्टर तय करता है कि एपिलेप्टिक है या लूनेटिक है **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, हम से संबंधित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : इनका असल प्रश्न यह है जो इसके बाद पैदा होता है, अगर स्वास्थ्य विभाग कहता है कि यह मिरगी वाला है तो क्या होगा ?

श्री सीताराम केसरी : तब उसके पुनर्वास का प्रबन्ध हम करेंगे।

MR. CHAIRMAN : That is all. कल्याण मंत्रालय करेगा।

श्री सीताराम केसरी : जब तक स्वास्थ्य विभाग यह घोषित नहीं कर देगा कि वह मेंटली रिटार्डेड है या मिरगी हो गया है तब तक हमारा विभाग उस में **(व्यवधान)**

श्री सभापति : मिरगी आपके अंडर आता है या उनके अंडर आता है **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : हमारे विभाग में तब आता है जब उसके पुनर्वास का प्रश्न आता है।

श्री सभापति : उनका प्रश्न यह है कि मिरगी आपके अंडर आता है या वहां आता है। इतना सा प्रश्न है।

श्री सीताराम केसरी : यह एक ऐसा प्रश्न है कि सबको मंदबुद्धि में डाले हुए है। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अब आपको नहीं है दोनों में से कुछ। आप बैठिए... **(व्यवधान)**...

श्री दीपेन घोष : जब सरकार को मिरगी हो जाती है तब क्या होता है... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I just want to explain. Women who were epileptic, were brought under the Indian Lunacy Act. It is of concern. They were not permitted to marry, and they were not allowed to inherit property if they were declared epileptic. That is my concern. Today what is the fate of those people ? If you are to transport an epileptic child, you have to inform the State Government. That is my concern. (*Interruptions*).

श्री सभापति : उनका कन्सर्न यह है कि किसी लड़की को मिर्गी आती है तो उसकी शादी होने देंगे आप ... **(व्यवधान)** मैंने कह दिया है। अगर किसी को मिर्गी आती है तो उस लड़की की शादी में रोक तो नहीं या रोक हो जाती है। यह पूछ रहीं हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY : If the hon. Minister does not have the inor-mation, he can promise to supply it to the hon. Member .

MR. CHAIRMAN : He knows everything.

SHRI S. JAIPAL REDDY : He does not have the information.

श्री सभापति : उनको सब मालूम है।

श्री वीरेन जे० शाह : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका तो जवाब दिलवाइये मंत्री जी से।

श्री सीताराम केसरी : मैं कह सकता हूं कि आप हमको फ्रेश नोटिस दीजिए मगर मैं कह रहा हूं कि जितने भी ल्यूनेटिक होते हैं उनके लिए हैल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत हास्पिटल होता है। हमारे मंत्रालय का जो संबंध है . . . (व्यवधान)

श्री सभापति : आप और किसी में मत जाइये। अगर किसी को मिर्गी आती है तो वे यह कह रही हैं कि मिर्गी आने वाली लेडी को शादी की परमिशन नहीं है। तो क्या है या नहीं है? यही है।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : She is not allowed to inherit property.

श्री सीताराम केसरी : आप फ्रेश नोटिस दे दीजिए। देखकर बता देंगे आपको।

श्री **सभापति** : ये पता लगाकर बता देंगे आपको।

Foreign Aid for I.I.Ts.

*145. SHRIMATI KAMLA SINHA:†
DR. BAPU KALDATE :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the annual aid received from abroad for IITs in the country, with institute-wise details ;

(b) what is the annual expenditure incurred by Government on the IITs (Institute-wise) and the estimated expenditure incurred on each student ;

(c) whether it is a fact that there is unabated brain drain from the IITs.

(d) if so, what is the estimated migration from IITs during the last three years, year-wise details ;

(e) whether Government have appraised that the utility and benefits achieved are commensurate to the expenditure incurred thereon ; and

[illegible] come thereof ?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (f) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Except for project based bilateral programmes with institutions abroad, no annual foreign aid is received by the IITs.

(b) The average expenditure per student as estimated by IIT Directors for the year 1989-90 for undergraduates is Rs. 52,000/-, for post-graduate Rs. 77,000/- and for Ph.D. Rs. 98,000/-. Grants released during 1990-91 to the IITs is given in the Appendix. (*See below*)

(c) and (d) As per the report of the IIT Review Committee of 1986, about 20% graduates go abroad. A significant percentage of these graduates eventually return to India.

(e) and (f) The IIT Review Committee, while assessing the performance of IITs in 1986 has commended the contributions made by IITs in fulfilling the basic objectives of technology innovation and training of highly skilled manpower for enhancing techno-economic capability of the country. The achievements of the IITs are commensurate with the inputs.

Appendix

Grants released to the Indian Institutes of Technology during 1990-91.

(In Ruppees lakhs)

Name of Institute	Plan*	Non-Plan
IIT, Kharagpur	543	1898·60
IIT, Kanpur	522	1701·40
IIT, Delhi	565	1821·00
IIT, Madras	485	1601·00
IIT, Bombay	514	2080·00

* Includes grants released by the Ministry of Human Resource Development for institutional development, modernisation and infrastructural development in emerging areas.